वन्यजीव अनापत्ति प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डोईवाला दूधली मोटर मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण हेतु 3.60 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तांतरण।

जनपद देहरादून में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डोइवाला दूधली मुख्य मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन निर्माण हेतु 3.60 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु चिन्हित वनभूमि के राजा जी टाईगर रिर्जव की इकों सेंसटिव जोन की 10 किमी0 के अन्तर्गत आने के फलस्वरूप उक्त परिप्रेक्षय में वन्यजीव अनापत्ति प्रस्ताव पृथक से तैयार किया जा रहा है, जिसको यथाशीघ्र परिवेश पोर्टल में आपलोड कर दिया जायेगा। जिसमें यह वचनबद्धता की जाती है उक्त भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति से पूर्व वन्यजीव अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश (देहरादून)
office of the Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh

Phone/fax No.: 0135-2430660

E-mail: eetdrksh@rediffmail.com

पत्रांक.....323...... /1सी0(कैम्प)

दिनांक. 5/6/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वनप्रभाग
देहरादून।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डोईवाला दूधली मोटर मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण हेतु 3.60 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तांतरण।

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी0/यू0 सी0पी0/06/137/20/एफ0सी0/2532 दि0 26.03.2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दि0 05.04.2021 को वनभूमि प्रकरण पर चर्चा की गई है उक्त के कम में मार्ग निर्माण एवं उसकी चौड़ाई से सम्बन्धित डिजाईन एवं टैक्नीकल स्पेसिफिकेशन आदि पर चर्चा की गई। मार्ग निर्माण हेतु आइ0आर0सी0एस0पी0 73 पेज नं0 36 के अनुसार राईट ऑफ वे के अनुसार मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर ही ली जानी सम्भव है, मार्ग के दोंनो ओर दिलीपनगर टोंगिया ग्राम स्थित है जो 1980 से पूर्व का विद्यमान है। वन्यजीव अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अग्रसारित करने की कृपा करे ताकि मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्नः– प्रतिवदेन एवं आइ0आर0सी0एस0पी0 73 पेज नं0 36 की प्रति।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

पत्रांक.......................... /1सी0(कैम्प)
प्रतिलिपिः–

दिनांक. / /2021

1. सहायक अभियन्ता(पंचम) अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश